

.....न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 156 / 2011

संस्थापन दिनांक-20 / 07 / 07

जसवंत सिंह उम्र 29 वर्ष पुत्र प्रभुदयाल कुशवाह

निवासी ग्राम रुहेरा जिला दतिया म0प्र0

-----पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

वि रु द्ध

- 1- श्रीमती राजेश्री उम्र 24 वर्ष पत्नी जसवंतसिंह
जाति कुशवाह निवासी ग्राम रसनोल परगना गौहद
जिला भिण्ड म0प्र0

-----प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालय-श्री सुशील कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-67 / 10 मु0फौ. राजेश्री वि0
जसवंतसिंह में पारित आदेश दिनांक 05 / 05 / 2011 से उत्पन्न दाण्डिक
पुनरीक्षण

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधि0 ।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री आर0पी0 एस0 गुर्जर अधि0

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 18 नवम्बर 2014 को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक जसवंत की और से उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 399 द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गौहद श्री सुशील कुमार द्वारा प्रकरण क्रमांक 67 / 10 मु0फौ0 में दिनांक 5 / 5 / 11 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका का अंतरिम भरण पोषण का आवेदन स्वीकार करते हुये एक हजार रुपये और मासिक भरण पोषण भत्ता स्वीकृत किया था ।
02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है और वे साथ साथ रह रहे हैं ।
03. पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता का प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के साथ वर्ष 2005 में हिन्दू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था, किन्तु प्रतिपुनरीक्षणकर्ता बिना बताये अपने मायके चली जाती थी इसी

क्रम में दिनांक 13/7/10 को वह वह उसकी अनुपस्थिति में अपने भाई व अन्य 4-5 लोगों के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध नाबालिग पुत्र को घर पर छोड़कर चली गई और अथक प्रयासों के बावजूद भी साथ रहने नहीं आई ना उसने नाबालिग पुत्र का पालन पोषण किया और बनावटी तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण का आवेदनपत्र धारा 125 द0प्र0स0 के अंतर्गत पेश करते हुये साथ में अंतरिम भरण पोषण हेतु आवेदनपत्र पेश कर दिया जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक सिद्धान्तों के विपरीत स्वीकार कर एक हजार रुपये मासिक भरण पोषण अंतरिम रूप से स्वीकार किया है, जिसको प्रतिपुनरीक्षणकर्ता प्राप्त करने की कोई अधिकारिणी नहीं थी, क्योंकि वह बिना किसी कारण के चली गई थी, और पुनरीक्षणकर्ता ग्रामीण परिवेश का होकर मजदूर व्यक्ति है तथा उसे नियमित रूप से मजदूरी भी प्राप्त नहीं होती है, इसलिये आदेश अपास्त किया जाये

04. पुनरीक्षण याचिका के लिये मुख्य रूप से निम्नप्रश्न विचारणीय है:—

- 1— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 67 / 10 मु0फौ0 में दिनांक 5/5/11 को पारित आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित, या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

05. तर्कों के दौरान उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि, पक्षकारों के मध्य विचारण न्यायालय में समझौता हो गया था, और वे साथ साथ चले गये थे, और प्रकरण खारिज करा लिया था, इसलिये विधि अनुसार निराकरण कर दिया जाये ।

06— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख जारी मांगपत्र आहूत किये जाने पर अभिलेखागाकर अनुभाग गोहद से सहायक अभिलेखापाल इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी गई है कि उपरोक्त प्रकरण का विनिष्ठीकरण किया जा चुका है । उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्कों के दौरान भी ऐसा व्यक्त किया है कि मूल प्रकरण का गुणदोष पर कोई निराकरण नहीं हुआ । समझौता होने से दोनो पक्ष साथ साथ रहने को चले गये थे और उनके पास मूल प्रकरण से संबंधित कोई भी सामग्री अब उपलब्ध नहीं है । अतः अभिलेख पर संलग्न आलोच्य आदेश की सत्य प्रतिलिपि एवं पुनरीक्षण याचिका एवं तर्कों के आधार पर

निराकरण किया जा रहा है ।

7— पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अंतिम तर्कों में पक्षकारों की स्थिति स्पष्ट करते हुये उनका साथ साथ रहना बताया गया है, ऐसी स्थिति में भरण पोषण भत्ता स्वीकृत करने का आदेश स्वमेव ही औचित्यहीन हो जाता है, तथा यह सुस्थापित विधि है कि अंतरिम भरण पोषण का आदेश मूल प्रकरण के अंतिम निराकरण तक ही प्रभावी होता है, चूंकि मूल प्रकरण ही समाप्त हो चुका है ऐसे में उक्त आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । फलतः प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के अनुक्रम में और उभय पक्ष की स्वीकारोक्ति को देखते हुये आलोच्य आदेश को वाद विचार विधि सम्मत ना पाते हुये निरस्त किया जाता है ।

दिनांक 18-11-2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)